न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंझौल बेगूसराय
सामान्य पंजी संख्या – 1021/13

राज्य

बनाम

अनिल कुमार पासवान

दिनांक 15.11.19 :

अभिलेख आज आदेश हेतु नियत है। अभियुक्त अनिल कुमार पासवान की ओर से समयावेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है। जिसे आज मात्र के लिए स्वीकृत किया जाता है। वाद के पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए।

आदेश

बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा – 239 दं0 प्र. सं. दिनांक 10.01.18 एवं अभियोजन की ओर से दाखिल प्रति उत्तर दिनांक 28.08.19 पर उभय पक्षों को सुना। बचाव पक्ष का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है और कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि कांड दैनिकी में साक्षियों के बयान एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य के आलोक में प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। यह कि आवेदित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्त को आरोप से निर्मुक्त करने की कृपा की जाय। अभियोजन पक्ष का कथन है कि अनुसंधानकर्त्ता द्वारा ऋजु विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पर्याप्त सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या संज्ञान लिया गया। कांड दैनिकी का पैरा – 4 में संतोष कुमार दास के कथन से; अभियुक्त अनिल कुमार पासवान के उपर लगाये गये अभियोग का स्पष्ट उल्लेख होता है। कांड दैनिकी के पैरा 7, 8, 9, 10 और 11, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 में लिये गये साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त अनिल कुमार पासवान द्वारा अपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किया गया। कांड दैनिकी के पैरा 34 में डी. पी. ओ. (स्थापना) अनिल कुमार के बयान से स्पष्ट होता है कि अनिल कुमार पासवान द्वारा लोक सेवक के रूप में आपराधिक न्यास भंग किया गया।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद के अभियुक्त अनिल कुमार पासवान के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा – 406, 420 के अंतर्गत आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतः बचाव पक्ष के आवेदन दिनांक 10.01.2018 को तद्नुसार खारिज किया जाता है। वाद दिनांक ..... वास्ते आरोप गठन । अभियुक्त आरोप गठन हेतु सदेह उपस्थित रहे।

योगेश कुमार मिश्र

न्या0 दंडा0 प्रथम श्रेणी, मंझौल